781) ~~553~~

म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
"चयन भवन" मेन रोड़ नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क्र./व्यापम/5–प–1/209 5716 /2015 भोपाल, दिनांक 23/07/15

// आदेश //

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 का आयोजन दिनांक 12.08.2012 को किया गया था। इस परीक्षा का परिणाम दिनांक 01.09.2012 को घोषित किया गया था। इस परीक्षा में एसटीएफ की जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में एसटीएफ द्वारा अपराध प्रकरण क्रमांक 18/14 थाना एसटीएफ, भोपाल में दर्ज किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एसटीएफ द्वारा व्यापम से इस परीक्षा के रोल नं आवंटन में उपयोग में लाये गये लॉजिक एवं रोल नं. टेम्परिंग संबंधी जानकारी ज्ञात कर अवगत करवाने हेतु लिखा गया था। व्यापम स्तर पर परीक्षण करने पर इस परीक्षा के रोल नं. का आवंटन शहरवार ट्रान्जेकशन आईडी के आधार पर इंडेक्सिंग करते हुये बढ़ते क्रम में पाये गये थे। रोल नं. टेम्परिंग का परीक्षण करने पर **64** अभ्यर्थियों के रोल नं. लॉजिक से विपरीत होना पाया गया था।

इन **64** प्रकरणों में रोल नं. सेट किये जाने की पुष्टि होने के उपरांत समान उत्तर, असमान उत्तर, खाली उत्तर, सही समान उत्तर तथा गलत समान उत्तर की जानकारी एसटीएफ मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराई गई थी। इसी जानकारी को संज्ञान में लेते हुये इन प्रकरणों की सूक्ष्मता से आवश्यक जांच करते हुये कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिये संचालक व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा दिनांक 11.06.2015 को नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक परीक्षा तथा संयुक्त नियंत्रक कम्प्यूटर की समिति गठित की गई थी।

समिति द्वारा प्रकरण का समुचित परीक्षण करने पर पाया गया कि यह प्रकरण रोल नं. सेट करवाकर सामूहिक नकल किये जाने से संबंधित है। व्यापम द्वारा पीएमटी परीक्षा वर्ष 2008, 2009, 2010 एवं 2011 में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गई है तथा इन परीक्षाओं में व्यापम स्तर से की गई कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा सही ठहराया गया है। उपरोक्त आधार पर ही परिवहन आरक्षक परीक्षा 2012 के 65256 अभ्यर्थियों की सभी संभावित पैयरिंग ज्ञात कर समान उत्तरों का **औसत** ज्ञात किया गया था, जो कि **34.20** है। औसत के दुगने अर्थात् **68.40** को, समान उत्तर + गलत समान उत्तर – असमान उत्तर को, कटऑफ मानते हुये परीक्षण किये जाने पर 84 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पैयरिंग प्राप्त हुई। इन 84 संदिग्ध पैयरिंग में प्राप्त होन वाले समूहों के रोल नम्बरों का टेम्परिंग की दृष्टि मिलान किया गया। जिसमें 64 अभ्यर्थियों की टेम्परिंग सूची में से अभ्यर्थियों के **चार समूह** अर्थात् 08 अभ्यर्थियों के रोल नं टेम्पर्ड पाये गये। इस प्रकार इन **08** अभ्यर्थियों के रोल नम्बर टेम्परिंग के साथ–साथ, नकल भी किये जाने की पुष्टि हो रही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

स.क	अनु. क.	नाम	प्राप्तांक	समान उत्तर	असमान उत्तर	गलत समान उत्तर	यूएफएम स्कोर
01.	637938	अनिल पाण्डे	57	91	9	40	122
02.	637939	राजेश हाडा	58				
03.	638449	विजय कुमार यादव	55	83	17	37	103
04.	638450	राम सिंह सोंलकी	57				
05.	639469	मनोहर दुबे	70	74	26	23	71
06.	639470	मन्नूलाल वर्मा	57				
07.	640300	दीपक शर्मा	54	81	19	36	98
08.	640301	मिलंद सागर खरकया	55				

4. उक्त तथ्यों के आधार सिद्ध होता है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग किया है, उनका यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः परीक्षा की नियमपुस्तिका की कण्डिका – 2.11 के तहत उक्त सभी 08 अभ्यर्थियों के प्रकरणों को यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य करते हुये उनका परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

संचालक
व्यापम, भोपाल

पृ क्र./व्यापम/5–प–1/209/5717/2015 भोपाल, दिनांक 23/07/15

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, परिवहन मोती महल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संबंधित अभ्यर्थी श्री .... की ओर सूचनार्थ ।

संचालक
व्यापम, भोपाल